

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
वीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर  
70/2025 प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा  
15.07.2025

रामरतन सौंकरिया  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
11.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा पोस्ट चैनपुरिया तह. निवाई जिला टोंक विक्रेता/प्रबंधक मैसर्स भारद्वाज रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एनएच-52 निवाई जिला टोंक राज0।
- 2-श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री नन्नूलाल शर्मा मालिक/प्रोपरायटर मैसर्स भारद्वाज रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एनएच-52 निवाई जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 8952273846
- 3-मैसर्स भारद्वाज रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एनएच-52 निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड-304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उप0।


:-निर्णय:-

दिनांक 11/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2025 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स भारद्वाज रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एनएच-52 निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा अपने प्रतिष्ठान भारद्वाज रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस रिलायंस पेट्रोलपम्प के सामने एनएच-52 निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता/प्रबन्धक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाकर श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री नन्नूलाल शर्मा को उक्त फर्म का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान के किचन में फ्रीजर में एक भगोने में लगभग 10-12 किलोग्राम अनुर रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान में एक भगोने में रखे लगभग 5-7 किलोग्राम पनीर में से कुल 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर 1 किलोग्राम को हिलामिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की सूखी शिशियों में बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 250 ग्राम) बतौर परिरक्षित प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे डालकर, अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक शीशी को गोद से अच्छी तरह चिपकाया, डिब्बों ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4382 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4382 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/745 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/2186/एक्ट/2025/2283 दिनांक 20.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया पनीर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार



2464  
DOL  
जातिरका जिला माजस्ट  
लोक

अवमानक(Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस पनीर का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया पनीर का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 11/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

*Sd/-*  
प्रसिद्ध जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज